झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 53 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री संदेशा प्रधान एवं अन्य,
पं०-कोड़ाकेल, मुरहू,
खूँटी ।

बनाम

प्रतिवादी DSO, खूँटी ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग **कैम्प कार्यालय, खूँटी।** **वाद सं0–53 / 2023** आज दिनांक–04.10.2023 को खूँटी परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री संदेशा प्रधान एवं अन्य 19, ग्राम–कोड़ाकेल, पंचायत–कोड़ाकेल, थाना–मुरहू जिला–खूँटी का कहना है कि उन्हें राशन डीलर, श्रीमती सुमित्रा देवी द्वारा राशन काट कर दिया जाता है। विरोध करने पर डीलर द्वारा मारपीट एवं राशन कार्ड से नाम कटवाने की धमकी दी जाती है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि डीलर श्रीमती सुमित्रा देवी के पास जितने भी लाभुक हैं, उन सभी को जितने अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उतने अवधि का राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के तहत् सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं दिनांक–31.10.2023 तक ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण आयोग में समर्पित करें। साथ ही उक्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी करा कर आयोग को भेजें। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx61	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–53 / 2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री संदेशा प्रधान एवं अन्य, पंचायत–कोड़ाकेल, मुरहू, जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण सुनवाई में न तो सशरीर उपस्थित हो पाये, न ही ऑनलाइन शामिल हो पाये। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निर्देशित करता है कि वे आयोग के दिनांक–04.10.2023 के आदेश के अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण सशरीर उपस्थित होकर आयोग में प्रस्तुत करें। आयोग के आदेश के अनुपालन का प्रमाण यदि प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग शिकायतकर्ता से भी आग्रह करता है कि यदि संभव हो, तो वे भी व्यक्तिगत रूप से आयोग की सुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा वे अपना पक्ष लिखित रूप से आयोग के वाट्सएप्प नंबर के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx117	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.11.2023	**वाद संख्या–53 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री संदेशा प्रधान एवं अन्य, पंचायत–कोड़ाकेल, मुरहू, जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनवाई में उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता का संपर्क नंबर नहीं होने के कारण उनसे संपर्क नहीं किया जा सका। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को मुखिया / ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा की वीडियोग्राफी की सी0डी0 आयोग को उपलब्ध कराई है, जो आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये सी0डी0 में शिकायतकर्ता श्री संदेशा प्रधान ने अपना यह बयान दर्ज कराया है कि शिकायत उनके नाम से किया गया है लेकिन उन्होंने किसी शिकायत–पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है और फर्जी हस्ताक्षर कर उनके नाम का शिकायत दर्ज की गई है। चूंकि शिकायतकर्ता श्री संदेशा प्रधान ने अपना वीडियो बयान दर्ज कराई है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx126	